

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

अधिशायी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण खण्ड
अल्मोड़ा।

विषय:- पिथौरागढ में मुनस्यारी मिलम मोटर मार्ग से क्वीरीजिमिया साईपोलो तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु ।
FP/UK/ROAD/17531/2016

सन्दर्भ:- भारत सरकार के आपत्ति दिनांक 22-11-2018 के सम्बन्ध में ।

महोदय,

विषयकित प्रकरण का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव आनलाईन इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है, जिसमें भारत सरकार द्वारा दिनांक 22-11-2018 को कतिपय आपत्तियों का निराकरण करने हेतु आपको प्रस्ताव आपको भेजा गया। परन्तु आपके द्वारा उक्त आपत्ति का निराकरण अभी तक फार्म ए के पार्ट I एवं पार्ट II में नहीं किया गया है जिसके अभाव में प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यावाही की जानी सम्भव नहीं हो पा रही है। इस सम्बन्ध में पुनः आपको प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्ति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्ति का निराकरण यथास्थान करते हुए तीन हार्ड प्रति में इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। ताकि प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यावाही की जा सके।

संलग्न-यथोपरि।

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन
मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून-248001
दूरभाष: 0135-2650809
फैक्स-0135-2653010
ईमेल- moef.ddn@gov.in



GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST &
CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL
ZONE)
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

फाईल संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/251/2016/एफ.सी./1757 दिनांक 22.11.2018

✓ सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय:-जनपद- पिथौरागढ़ में मुनस्यारी मिलम मोटर मार्ग से क्वीरीजिमिया साईपोलो मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.570 है० वन भूमि के सम्बन्ध में। (online no. FP/UK/ROAD/17531/2016)

महोदय,

उपरोक्त विषय पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि इस कार्यालय के पत्र दिनांक 21.12.2016 द्वारा प्रस्ताव पर वांछित सूचनायें चाही गई थी जिसकी अनुपालन आख्या राज्य सरकार अपने पत्र दिनांक 18.01.2018 द्वारा प्रस्तुत की है। अतः राज्य सरकार अनुपालन आख्या प्रेषित करने में विलम्ब होने का विस्तृत कारण प्रस्तुत करें। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार निम्न बिन्दुओं पर भी आवश्यक सूचनायें प्रस्तुत करने का कष्ट करें ताकि अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

1. Regarding point no. 3, KML file for proposed road uploaded at para L and KML of CA uploaded at para C.

Action Required:- State Govt. may upload KML file of proposed road at para C and KML file of CA at para L in online Part I so that DSS analysis could be done.

2. In response of point 3, working plan prescriptions are still not given for the Reserve Forest involved in the area proposed for diversion in online Part II.

Action Required :-State Govt. may review and upload the working plan prescriptions for RF in online Part II.

3. Regarding point no. 4, detail of wildlife is still not mentioned in online Part II.

Action Required:-State Govt. may upload the detail of wildlife in online Part II.

4. In reply to point 7, original hard copy of complete proposal is required.

Action Required:- The State Govt. may submit original hard copy of complete proposal.

5. From the KML file of the proposed road it is seen that connectivity through dense RF of high value forest is unnecessary as the villages are given connectivity from both ends of existing roads.

Action Required:- State Govt. may clarify the same.

6. In the recommendation of DFO, name of project is shown as hospital rather than road.

Action Required: The State govt. may mention correct name of the road in online web portal.

7. The number of trees affected by the proposed road is 412, which is quite high. Also, alternation route has also not been analysed properly.

Action Required: The State Govt. may try to find out an alternate route as the proposed road is passing through thick forest.

यदि चाही गई सूचना पत्र जारी होने की तिथि के 60 दिनों के भीतर इस कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी तो प्रस्ताव को निरस्त किया जा सकता है।

भवदीया,
(कमल प्रीत)
वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. अपर मुख्य सचिव (वन), उत्तराखण्ड शासन, सुभाष रोड, देहरादून।

(कमल प्रीत)
वन संरक्षक